अध्याय-VI निष्कर्ष एवं अनुशंसाएं

कार्यक्रम की शुरूआत ग्रामीण जनसंख्या को स्थायित्व आधार पर स्वच्छ एवं पर्याप्त पेयजल प्रदान करने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ की गई थी। 12वीं योजना का उद्देश्य सभी ग्रामीण बस्तियों, विद्यालयों और आंगनवाड़ियों को 2017 तक स्वच्छ पेयजल प्रदान करने का था जिसके प्रति वास्तविक प्राप्ति बस्तियों को कवर करने की केवल 44 प्रतिशत और विद्यालयों और आंगनवाड़ियों के लिए 85 प्रतिशत थीं। अप्रैल 2017 तक योजना में 50 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों/जनसंख्या को पाइप द्वारा पीने योग्य पेयजल (55 एलपीसीडी) को प्रदान करने और कम से कम 35 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों को घरेलू कनेक्शन के साथ पाइप द्वारा जल आपूर्ति पर भी जोर डाला था। हालांकि, इन प्रदेयों के प्रति वास्तविक प्राप्ति (दिसम्बर 2017) क्रमशः केवल 18.4 प्रतिशत और 16.8 प्रतिशत थी।

अधिकतर राज्यों द्वारा जल सुरक्षा योजनाओं या व्यापक वार्षिक कार्य योजनाओं को नहीं बनाने के कारण योजना और वितरण रूपरेखा त्रुटिपूर्ण थी। सर्वोच्च स्तरीय राष्ट्रीय पेयजल और स्वच्छता परिषद जिसे समन्वय करने और अभिसरण सुनिश्चित करने के लिए स्थापित किया गया था, वह निष्पादन लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान निष्क्रिय थी। कार्यक्रम की योजना बनाने और निष्पादन हेतु महत्वपूर्ण अन्य निकाय जैसे राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन, राज्य तकनीकी एजेंसी, स्रोत ढूंढने वाली समिति, ब्लॉक संसाधन केन्द्र या तो स्थापित नहीं हुए थे या फिर अपने सौंपे गए कार्यों को निष्पादित नहीं कर रहे थे। इस प्रकार, कार्यक्रम की योजना बनाने तथा वितरण दोनों में बाधाओं का सामना करना पड़ा जिसने बाद में कार्यक्रम लक्ष्यों और प्रयोजन की प्राप्ति को प्रभावित किया।

एनआरडीडब्ल्यूपी को केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच लागत को बांटकर एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में कार्यान्वित किया जाता है। हालांकि, यह पाया गया कि कार्यक्रम हेतु निधियों की उपलब्धता 2013-14 से 2016-17 में कम हो गयी। इसके अतिरिक्त, आवंटित निधियों को भी पूर्ण रूप से उपयोग में नहीं लाया जा सका। अस्वीकार्य मदों के प्रति ₹358.59 करोड़ की निधियों के विपथन तथा राज्य जल एवं

स्वच्छता मिशनों और कार्य निष्पादन अभिकरणों के पास ₹304.02 करोड़ की निधियों के अवरूद्ध होने के कारण निधियों की कमी में वृद्धि हुई थी।

उचित साइट जांच और आवश्यक वैधानिक एवं कोडल प्रावधानों में निर्धारित रूप से अन्य अनिवार्य मंजूरियों की सामयिक प्राप्ति में कमी के साथ खराब प्रबंधन तथा ठेकेदारों द्वारा देरी के मामलों में निविदात्मक शर्तों के प्रवर्तन के परिणामस्वरूप वित्तीय कार्य अपूर्ण, परित्यक्त या अकार्यात्मक होने के साथ ₹2,212.44 करोड़ की समग्र वित्तीय विवक्षा सहित उपकरण पर अनुत्पादक व्यय हुआ था।

जल गुणवत्ता और स्थायित्व आपूर्ति सुनिश्चित करना योजना का एक मुख्य तत्व था। हालांकि, सामुदायिक जल शुद्धिकरण संयंत्र केवल पांच प्रतिशत गुणवत्ता प्रभावित बस्तियों को प्रदान किया जा सका था तथा स्थायित्व योजनाओं को या तो तैयार/कार्यान्वित नहीं किया गया या फिर वार्षिक कार्य योजनाओं में शामिल नहीं किया गया था। पृष्ठ जल आधारित योजनाओं पर अपर्याप्त रूप से ध्यान केन्द्रित था और पाइप द्वारा जल योजनाओं सहित बड़ी संख्या में योजनाएं (98 प्रतिशत) भू-जल संसाधनों पर आधारित थीं। इसके अतिरिक्त, परिचालन तथा अनुरक्षण योजनाएं अधिकतर राज्यों में या तो तैयार नहीं थीं या फिर उनमें कमियां थीं जिसके कारण योजनाएं कार्यात्मक नहीं थीं। परिणामस्वरूप, स्लिप-बैक बस्तियों के मामले निरंतर मौजूद रहे। इसके अतिरिक्त, राज्य/जिला/उप-प्रभाग स्तरीय प्रयोगशालाओं की संख्या में अपेक्षित कमी के कारण जल स्रोतों और आपूर्ति की निर्धारित गुणवत्ता जांचों में कमियां हुई थीं जिसके कारण ग्रामीण जनसंख्या को स्वच्छ पेयजल प्रदान करने का उद्देश्य क्षीण हुआ था।

अंत में, जांच, जागरूकता तथा निगरानी हेतु संस्थागत तंत्र या तो स्थापित नहीं किए गए थे या फिर परिकल्पित तरीके से कार्य नहीं कर रहे थे एवं समग्र मॉनीटरिंग और निरीक्षण रूपरेखा में प्रभाविकता की कमी थी।

इस प्रकार से 2012-17 की अवधि के दौरान ₹81,168 करोड़ का व्यय करने के पश्चात भी ग्रामीण बस्तियों का समग्र कवरेज 40 एलपीसीडी पर केवल 8 प्रतिशत और 55 एलपीसीडी पर 5.5 प्रतिशत तक बढ़ा था।

अनुशंसाएं:

लेखापरीक्षा निष्कर्षों के आधार पर हम निम्नलिखित की अनुशंसा करते हैः

- ✓ इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि कार्यक्रम दिशानिर्देशों में परिकल्पित रूप में योजना बनाने और वितरण हेतु संस्थागत रूपरेखा या तो मौजूद नहीं थी या फिर अधिकतर राज्यों में कार्य नहीं कर रही थीं, मंत्रालय को इन तंत्रों की संभाव्यता तथा व्यावहारिकता की समीक्षा करनी चाहिए ताकि अपेक्षित उद्देश्यों को पूरा किया जा सके।
- ✓ जल सुरक्षा योजनाओं और वार्षिक कार्य योजनाओं को सामुदायिक भागीदारी के साथ तैयार किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि योजनाएं सामुदायिक आवश्यकताओं के साथ संरेखित हो और जल संसाधनों का सर्वोत्तम और सतत उपयोग सुनिश्चित किया जाए।
- ✓ मंत्रालय को ब्लॉक और गांव स्तरों पर क्षमता निर्माण/आईईसी को सुदृढ़ करना चाहिए ताकि वह योजना एवं कार्यक्रम की योजना बनाने, प्रबंधन और मॉनीटरिंग में सार्थक रूप से भाग लेने के लिए तैयार तथा सशक्त हो।
- ✓ योजना में राज्य विशिष्ट पहलू और आवश्यकताओं को ध्यान में रखना चाहिए और इसके प्रति मंत्रालय को राज्य विशिष्ट नीति रूपरेखा और वार्षिक कार्य योजना को तैयार करने के लिए एक वास्तविक समयसीमा निर्धारित की जानी चाहिए जिसे मंत्रालय द्वारा मॉनीटर भी किया जा सके।
- ✓ कार्यक्रम हेतु संसाधनों का आवंटन गत्यात्मक होना चाहिए और प्रत्येक घटक के अंतर्गत आवश्यकताओं और उपलब्धियों के स्पष्ट मूल्यांकन पर आधारित होना चाहिए।
- ✓ योजनाओं और स्कीम को तकनीकी और सतत पहलुओं का विधिवत रूप से निरीक्षण करने के पश्चात ही अनुमोदन प्रदान करना चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सभी मंजूरियां ली जा चुकी हैं ताकि कार्यों/योजनाओं का निष्पादन बिना रूके हुए सुनिश्चित किया जा सके।
- ✓ प्रभावी कार्यों तथा अनुबंध प्रबंधन पर ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि संविदात्मक शर्तों के अनुसार कार्य समय पर पूरे किए जा सके। ठेकेदारों की ओर से किसी प्रकार की चूक को अनुबंध की शर्तों के अनुसार सख्ती से देखा जाना चाहिए ताकि ठेकेदारों द्वारा किए गए विलंबों पर जुर्माना लगाया जा सके तथा जवाबदेही लागू की जा सके।

- ✓ स्वच्छ पेयजल और जल गुणवत्ता के परीक्षण हेतु अवसंरचना की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सभी गुणवत्ता प्रभावित बस्तियों में निदानात्मक उपायों पर घनीभूत रूप से बल दिया जाए ताकि स्वच्छ पेयजल प्रदान करने का उद्देश्य पूरा हो सके।
- ✓ मंत्रालय को एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली सहित सभी परिकल्पित मॉनीटरिंग उपकरणों की प्रभाविकता में सुधार करना चाहिए ताकि योजना बनाना और कार्यान्वयन दोनों को सशक्त किया जा सके।

(ममता कुन्द्रा)
महानिदेशक लेखापरीक्षा,
केन्द्रीय व्यय

नई दिल्ली
दिनांक: 07 मई 2018

प्रतिहस्ताक्षरित

(राजीव महर्षि)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली
दिनांक: 09 मई 2018